ऑन लाईन नं. GCMS 2024/27

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 21/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान –दूध विकेता –
   आरओ– वार्ड नं. 05, गुमजाल, त. अबोहर, जिला फाजिल्का, पंजाब।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय **दिनांकः 31.01.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नमूना संग्रहण के दिवस गजट नोटिफिकेशन कंमांक संख्या एफ 5(1) चिस्वा. / ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12. 2022 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान दिन क्रमांक प.5 (01) चिस्या/ ग्रुप 3/2023/10018 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कंमांक– आयुक्ता०/ खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22. 12.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता / संस्था./2023/10077 दिनांक 26.12.2023 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रमाक आयुक्ता० / खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2023 को समय सुबह 10:00 बजे को दुर्गा मन्दिर रोड, कलंगीधर गुरुद्वारा के पास श्रीगंगानगर पर पहुँचा, मौके पर **श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान (दूध विक्रेता), आरओ वार्ड नं. 05, गुमजाल, त. अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)–152132** को अपना परिचय दे कर मोटरसाइकिल पर दो कैनों में ले जा रहे खाद्य पदार्थ दूध के बारे में जानकारी चाही इस पर दूध विक्रेता ने दो कैनों में 60 लीटर **गाय का दूध** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया मुझे इसी खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ गाय का दूध का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दीया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान (दूध विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान (दूध विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** 2 लीटर को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ गाय का दूध का नगद भुगतान 90 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **गाय का दूध** को एकरुप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में मरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक **के 2067** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2067** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान (दूध विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1815/Act/2023/1815 Dated 09-11-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2067 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान (दूध विक्रेता), आरओ वार्ड नं. 05, गुमजाल, त. अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)** द्वारा अमानक स्तर **गाय का दूध** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 20.02.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त क अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी लघु कृषक है जो कि खेती के साथ–साथ घर में पशुपालन का कार्य भी करता है। गांव से एवं स्वयं के पालतु पशुओं के दूध को इक्कट्ठा कर शहर में बेचान कर अपने परिवार का जीवन यापन करता है। खाद्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 28.10.2023 को प्रार्थी के पास केनों में भरे हुए दूध का सैम्पल लिया गया था जो कि बाद जांच सब–स्टैण्टर्ड पाया गया था। प्रार्थी के द्वारा उक्त दूध में कोई मिलावट नहीं की गई थी जैसा दूध घरो से आया था प्रार्थी वैसा का वैसा दूध ही कैनो में लेकर शहर में घरो में स्पलाई करने के लिए लाया था। प्रार्थी अपने उक्त प्रकरण को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर निस्तारण करवाना चाहता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को लोक अदालत की भावना से नरमी का रूख अपानते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का कष्ट करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गाय का दूध** का सैम्पल **K-2067** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– L.S./1815/Act/2023/1815 Dated 09-11-2023 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा उक्त दूध में कोई मिलावट नहीं की गई थी जैसा दूध घरो से आया था प्रार्थी वैसा का वैसा दूध ही कैनो में लेकर शहर में घरो में स्पलाई करने के लिए लाया था। प्रार्थी अपने उक्त प्रकरण को लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर निस्तारण करवाना चाहता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को लोक अदालत की भावना से नरमी का रूख अपानते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का कष्ट करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **Sample of Cow Milk bearing code No. K-2067 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not Conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and, Food Addiative) Regulations, 2011** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान (दूध विक्रेता), आरओ वार्ड नं. 05, गुमजाल, त. अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान (दूध विक्रेता), आरओ वार्ड नं. 05, गुमजाल, त. अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर